

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
//आदेश//

रायपुर, दिनांक 11.02.2015

क्रमांक एफ 01-26/31/स्था./2014 :: इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 01-20/31/स्था./2014, दिनांक 15.07.2014 द्वारा श्री हरीश कुमार, अनुविभागीय अधिकारी, केलो परियोजना निर्माण उपसंभाग क्रमांक-4, पुसौर, रायगढ़ का स्थानांतरण सहायक अभियंता, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, केलो परियोजना बांध मंडल, खरसिया स्वयं के व्यय के आधार पर किया गया।

2/ श्री हरीश कुमार द्वारा स्थानांतरण नीति वर्ष 2014-15 के विरुद्ध स्वयं के व्यय पर किये गये स्थानांतरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका क्रमांक-4222/2014 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.08.2014 में याचिकाकर्ता को वरिष्ठ सचिव स्तरीय समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

3/ माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार श्री हरीश कुमार द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए, यह उल्लेख किया कि स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.07.2014 द्वारा स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण किया गया है जबकि उनके द्वारा स्वयं के व्यय पर खरसिया में पदस्थ करने हेतु कोई आवेदन नहीं किया गया है। पुत्र मानसिक रूप से कमजोर है, उसके बेहतर इलाज एवं प्रशिक्षण के लिए रायपुर में निवास करना आवश्यक है। जिसके लिए स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु सहमत है। अतः रायपुर में किसी कार्यालय में पदस्थ करने का अनुरोध किया है।


4/ वरिष्ठ सचिवों की समिति द्वारा श्री हरीश कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लेखित जानकारी एवं प्रशासकीय विभाग की अभिमत के आधार पर श्री हरीश कुमार का स्थानांतरण "स्वयं के व्यय" पर किया गया है, जबकि आवेदक द्वारा स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि आवेदक के स्थानांतरण से स्थानांतरण नीति वर्ष 2014-15 का उल्लंघन हुआ है। अतः समिति ने आवेदक का अभ्यावेदन मान्य करने की अनुशंसा किया है।

5/ माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक-4222/2014 में पारित आदेश दिनांक 19.08.2014 के परिपालन एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार श्री हरीश कुमार, सहायक अभियंता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर समग्र विचारोपरंत विभागीय आदेश क्रमांक एफ 01-20/31/स्था./2014, दिनांक 15.07.2014 के सरल क्रमांक-50 को संशोधित करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा तत्काल प्रभाव से श्री हरीश कुमार, सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा, (अस्थायी मुख्यालय, खरसिया) रायगढ़ से कार्यालय उप संचालक, जल मौसम विज्ञान संभाग क्रमांक-4, रायपुर में अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है।

(समन्वय में अनुमोदित)



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(आर.के.नारद)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

.....2

//2//

पृ.क्रमांक एफ 01-26/31/स्था./2014,
प्रतिलिपि:-

रायपुर,दिनांक 11.02.2015

1. महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर । कृपया माननीय उच्च न्यायालय को याचिका क्रमांक 4222/2014 में पारित आदेश दिनांक 19.08.2014 के संदर्भ में अवगत कराने हेतु अनुरोध है ।
2. माननीय मंत्रीजी के विशेष सहायक, छ.ग.शासन, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
3. निज सचिव, सचिव छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
4. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर ।
5. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मिनीमाता बांगो परियोजना, बिलासपुर एवं महानदी गोदावरी कछार, रायपुर, छ.ग.।
6. नोडल अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, मिनीमाता, हसदेव बांगो परियोजना, बिलासपुर।
7. कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा, अ.मु.खरसिया, रायगढ़।
8. उप संचालक, जल मौसम विज्ञान संभाग क्रमांक-4, रायपुर।
9. श्री हरीश कुमार, सहायक अभियंता द्वारा-प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
10. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय रायपुर, छ.ग.।
11. आदेश फोल्डर ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

Rasad

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

LEE (MIS)
3/12/15
LCB